राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः-प.1(1)न्याय/2020 पार्ट-।　　　　　　जयपुर, दिनांक 8 FEB 2021

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित् पारिवारिक न्यायालयों के कॉलम संख्या 3 में वर्णित् संबंधित जिला न्यायाधीश से स्थानान्तरित किये जाने वाले दीवानी वादों को शीघ्र निपटाने हेतु दीवानी वाद सुनने का अधिकार प्रदान करती है:-

साथ ही मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के क्रेन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित् पारिवारिक न्यायालयों को स्थानान्तरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई हेतु मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	जिला न्यायाधीश का नाम
1	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 4, जयपुर	जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर महानगर-द्वितीय एवं जयपुर जिला
2	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 5, जयपुर	जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर महानगर-द्वितीय एवं जयपुर जिला

राज्यपाल के आदेश से,

8.2.2021

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जयपुर/ जोधपुर।

9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम/ जयपुर महानगर द्वितीय/ जयपुर जिला।

10. पुलिस आयुक्त, जयपुर।

11. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।

12. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।

15. रक्षित पत्रावली।

8.2.2021

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव